न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 41 / 2018

1 गोपाल पुत्र गोदा जाति माली निवासी [illegible] साठियावास तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1 भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर।
2 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर सीकर

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत निर्णय दिनांक 27.03.2018
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला
उनवानी प्रकरण गोपाल बनाम भूमिधारी
दावा संख्या 287 / 2015

उपस्थिति :

1. श्री विनोद कुमार सरोज, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 22-7-19

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर **287/2015** में पारित निर्णय दिनांक **27.03.2018** के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर **101** रकबा **2.20** हैक्टेयर तन ग्राम साठियावास पटवार हल्का गुरारा तहसील खण्डेला जिला सीकर में अवस्थित है जिसके पुराने खसरा नम्बर **51** मिन है। उक्त वर्णित भूमि पर वादी वक्त बुजुर्गान के समय से पूर्णत काबित काश्त चला आ रहा है तथा वादी से पूर्व उसका पिता गोदा का विज काश्त चला आ रहा था तथा वादी एवं उसके पिता गोदा पुत्र रूघा के नाम से भूमि की संवत **2035** से **2048** की खसरा परिवर्तित तथा गैर मुस्ताकिल काश्त की बाबत दर्ज की गयी है जिसमें वादी व उसके पिता द्वारा भूमि में मूंग, गवार, बाजरा खसरा गिरदावरियों में वादी के बुजुर्गान का नाम अंकित किया गया है तथा वादी व उसके पिता ने भूमि का लगान जमा की रसीद वादी व उसके पिता के नाम से राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम **1956** की धारा **91** के तहत नोटिस सन् **1989** से जारी किये जाते रहे है जिससे वादी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त वक्त बुजुर्गान के समय से चला आ रहा होना पूर्णत साबित है परन्तु वादी के नाम उक्त भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही की गयी है जिससे वादी को सख्त हक तलफी है तथा वादी को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से महरूम होना पड़ रहा है इसलिए वादी के नाम उक्त भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। उक्त भूमि पर वादी वक्त बुजुर्गान से काबिज काश्त चला आ रहा है तथा वादी से पूर्व उसका पिता काबिज काश्त चला आ रहा था इसलिए एडवर्स पजेशन के आधार पर भी वादी उक्त भूमि का कानूनन खातेदार काश्तकार हो चुका है तथा भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादी संख्या **01** भूमिधारी तहसीलदार व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

हल्का पटवारी को उक्त भूमि की खातेदारी वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कहा तो पहले तो आश्वासन देते रहे किन्तु अर्सा 10 रोज पूर्व खातेदारी दुरूस्त करने से इनकार हो गये तथा वादी को न्यायालय में दावा प्रस्तुत करने हेतु कहा है। दावा पेश किया गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई वाद वादी खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि संवत 2035 से 2048 तक गोदा पुत्र मुंगा के नाम रही है बिना किसी सक्षम आदेश के खातेदारी समाप्त की गई है। विचाराधीन निर्णय पारित करने से पूर्व तनकी कायम नही की गई है, न ही किसी प्रकार की साक्ष्य ली गई है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी के जवाब के समर्थन में कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है। विचारण न्यायालय ने निर्धारित प्रकिया अपनाये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया है। जो विधि विरूद्व है अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि नियमित कब्जे का कोई साक्ष्य नही है द्वितीय भू–प्रबन्ध से पूर्व ही विवादित भूमि सिवाय चक चली आ रही है अपीलांट अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नही है अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में दावा 29.12.2015 को पेश किया गया दिनांक 16.01.2017 को प्रतिवादी की और से जवाब दावा पेश किया गया। दिनांक 13.02.2017 को तनकी कायम की गई दिनांक 27.03.18 को विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में तनकीयात का कोई विवेचन नही किया है एवं पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का भी तनकीवार विवेचन नही किया है ऐसी स्थिति में विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय का निर्णय राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल के प्रावधानों के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में तनकीवार निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.12.2019 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 2-1-19 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर